न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, डीडवाना जिला नागौर (राज०)

पीठासीन अधिकारी :-रिछपाल सिंह बुरडक (आर०ए०एस०)
रेफरेन्स संख्या :- 14/2018
प्रार्थी :-

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार परबतसर तहसील परबतसर जिला नागौर।

अप्रार्थीगण :-

1. सम्पतराम पुत्र पन्नाराम कौम मेघवाल निवासी रूणीजा तहसील परबतसर
2. हरिराम पुत्र पुत्र पन्नाराम कौम मेघवाल निवासी रूणीजा तहसील परबतसर
3. सुखदेवराम पुत्र पन्नाराम कौम मेघवाल निवासी रूणीजा तहसील परबतसर

उपस्थित अधिवक्ता :-

श्री भैरोंसिंह शेखावत अधिवक्ता, अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 की और से।

रेफरेन्स अन्तर्गत धारा 232 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय

दिनांक :- 22.04.2022

{1} यह रेफरेन्स राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 232 के अन्तर्गत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी परबतसर के राजस्व वाद संख्या 15/2017 निर्णय एवं डिक्री पर्चा दिनांक 12.03.2018 को निरस्त करने हेतु प्रस्तुत किया गया है।

{2} रेफरेन्स के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम रूणीजा तहसील परबतसर की सरहद में स्थित पुराना खसरा नंबर 458 रकबा 06.10 बीघा किस्म बारानी दोयम प्लस, 459 रकबा 223.06 बीघा किस्म गैर मुमकिन पहाड राजकीय भूमि सवंत् 2018 से 2021 की खेवट खतौनी में दर्ज है। खसरा नंबर 459 रकबा 211.08 बीघा जमाबन्दी संवत 2022 से 2019 में वन विभाग के नाम दर्ज की गई। जमाबंदी संवत् 2026 से 2029 में खसरा नंबर 12.03 बीघा भूमि गैर मुमकिन पहाड दर्ज रेकार्ड है। वर्तमान में चालू जमाबन्दी में पुराना खसरा नंबर 458 के नये खसरा नंबर 691 रकबा 1.10 हैक्टेयर तथा पुराना खसरा नंबर 459/1 के नये खसरा नंबर 692 रकबा 1.26 हैक्टेयर भूमि किस्म गैर मुमकिन पहाड वर्तमान में राजकीय भूमि दर्ज है। अप्रार्थीगण द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी परबतसर में राजस्व वाद संख्या 15/2018 सम्पतराम वगैरहा बनाम राजस्थान सरकार

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना

Scanned with CamScanner

बाबत घोषणा, रेकार्ड दुरूस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा का दायर करवाया गया जिसमें न्यायालय उपखण्ड अधिकारी परबतसर द्वारा दिनांक 12.03.2018 को वादीगण के पक्ष में निर्णय देते हुये ग्राम रूणीजा के खसरा नंबर 691 रकबा 1.10 हैक्टेयर, 692 रकबा 1.26 हैक्टेयर भूमि किस्म गैर मुमकिन मगरा भूमि का खातेदार वादीगण को घोषित कर दिया गया एवं खसरा नंबर 692 रकबा 1.26 हैक्टेयर भूमि की किस्म गैर मुमकिन पहाड के स्थान पर बारानी दोयम दर्ज करने के आदेश पारित किये गये। चुंकि राजकीय काबिल काश्त भूमि का निस्तारण विधिवत जरिये आंवटन/नियमन किये जाने के प्रावधान राजस्थान कृषि भूमि आवंटन नियम 1971 में उल्लेखित है तथा इन्हीं नियमों के परिपेक्ष्य में ही राजकीय भूमि का कृषि प्रयोजनार्थ आंवटन किया जा सकता है। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी परबतसर द्वारा राजकीय भूमि का अप्रार्थीगण को वाद संख्या 15/2017 निर्णय दिनांक 12.03.2018 द्वारा राजकीय भूमि में खातेदार घोषित करनें एवं किस्म परिवर्तन का निर्णय शून्य एवं अवैध है अतः वाद संख्या 15/2017 निर्णय दिनांक 12.03.2018 निरस्त योग्य होने से निरस्त करवानें हेतु प्रार्थी द्वारा रेफरेन्स प्रस्तुत किया गया है।

{3} प्रार्थी तहसीलदार परबतसर द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स को दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 की और से अधिवक्ता श्री भैरोंसिंह शेखावत, श्री नागपाल सिंह राठौड ने अपना वकालत नामा प्रस्तुत किया।

{4} वकील अप्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण की और से दिनांक 21.01.2021 को जवाब पेश कर निवेदन किया कि उक्त वर्णित खसरान की भूमि कृषि योग्य भूमि है जिस पर आज दिन तक अप्रार्थीगण का कब्जा काश्त है । अप्रार्थीगण को उक्त भूमि पूर्वजों के जरिये फौतगी वारीसान की हैसियत से प्राप्त हुई है जिस पर अप्रार्थीगण से पूर्व इनके पूर्वज कब्जा काश्त रहे है तथा उक्त खसरान की भूमि के मौकें पर कोई पहाड नहीं है तथा उक्त खसरान की भूमि कृषि योग्य भूमि है जिस पर अप्रार्थीगण काबिज है। अप्राथीगण द्वारा राजस्व वाद 15/2017 में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी परबतसर ने वाद का अवलोकन कर , पटवारी पालना रिपोर्ट मंगवाकर सम्पूर्ण तथ्यों की जांच कर अप्रार्थीगण के पक्ष में निर्णय पारित कर उक्त खसरानों की भूमि को बारानी दोयम दर्ज करने के आदेश पारित किये है जो विधिवत है। तहसीलदार परबतसर ने उक्त भूमि पर अप्रार्थीगण का कब्जा होना स्वीकार किया है तथा अप्रार्थीगण के पूर्वज पन्नाराम पुत्र रूघाराम के पक्ष में आंवटन सलाहकार समिति द्वारा भूमि आंवटन के आदेश भी जारी हो चुके थे तथा माफिक आदेश सनद फीस भी जमा कराई

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना

Scanned with CamScanner

जा चुकी थी मगर अप्रार्थीगण के पिता के पक्ष में मापित्रक आंवटन आदेश नामान्तकरण दर्ज नही किया गया। जिसके लिए अप्रार्थीगण को दोषी साबित नहीं किया जा सकता। उक्त खसरान की भूमि पर वर्तमान में अप्रार्थीगण का कब्जा काश्त होना तहसीलदार परबतसर ने स्वीकार किया है। अप्रार्थीगण अनुसुचित जाति के है जो आंवटन नियम में भी प्रथम वरीयता रखते है । विवादित भूमि के खातेदारी अधिकार पन्नाराम पुत्र रूगाराम को प्राप्त हो चुके थे मात्र राजस्व कर्मचारियों की भूल के कारण खातेदारी दर्ज नहीं हो पाई थी तथा अप्रार्थीगण अपने पिता को आवंटित भूमि पर निरन्तर काबिज व कब्जा काश्त है जिससे यह प्रार्थना पत्र स्वत ही खारिज होने योग्य है। उक्त खसरान की भूमि के मौके पर कोई पहाड नहीं है उक्त खसरान की भूमि कृषि योग्य भूमि है जिस पर अप्रार्थीगण काबिज है जिससे भी यह प्रार्थना पत्र खारिज होने योग्य है।

{5} बहस अधिवक्ता सुनी गई। अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने निवेदन किया कि उक्त भूमि पर अप्रार्थीगण के पूर्वज ही काश्त करते आ रहे है तथा आदिनांक तक अप्रार्थीगण का कब्जा काश्त है तथा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी परबतसर ने वाद संख्या 15/2017 का अवलोकन कर, पटवारी पालना रिपोर्ट मंगवाकर सम्पूर्ण तथ्यों की जांच कर अप्रार्थीगण के पक्ष में निर्णय पारित कर उक्त खसरानों की भूमि को बारानी दोयम दर्ज करने के आदेश पारित किये है जो विधिवत है।

{6} बहस व पत्रावली पर उपलब्ध रेकर्ड का अवलोकन किया व मनन किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी परबतसर में दायर वाद संख्या 15/2017 बअनुवान सम्पतराम वगैरहा बनाम राजस्थान सरकार बाबत घोषणा, रेकार्ड दुरूस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा , जिसे उपखण्ड अधिकारी परबतसर ने दिनांक 12.03.2018 को निर्णीत कर ग्राम रूणीजा के सरकारी भूमि खसरा नंबर 691 रकबा 1.10 हैक्टेयर किस्म बारानी 2 , 692 रकबा 1.26 हैक्टेयर भूमि किस्म गैर मुमकिन मगरा भूमि का खातेदार वादीगण को घोषित कर दिया गया एवं खसरा नंबर 692 रकबा 1.26 हैक्टेयर भूमि की किस्म गैर मुमकिन पहाड के स्थान पर बारानी दोयम दर्ज करने के आदेश पारित किये गये एंव इसी अनुरूप डिक्री पर्चा दिनांक 12.03.2018 जारी किया गया। परन्तु राजस्थान भू-राजस्व (स्कूलों , कॉलेजो, चिकित्सालयों, धर्मशालाओं, सार्वजनिक उपयोग के अन्य भवन निर्माणार्थ अनाधिवासित राजकीय कृषि भूमियों का आंवटन) की शर्तें 1963 में भी अभिहित किया गया है कि "ऐसी भूमि जो गैर मुमकिन पहाड के रूप में अभिलिखित की गई है, को राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना आवंटित नहीं किया जायेगा।" तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहवाना

Scanned with CamScanner

1955 की धारा 232 के तहत यदि कोई अधीनस्थ न्यायालय टिनेन्सी एक्ट के प्रावधानों के विपरित अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर अवैध आदेश से सरकारी भूमि पर खातेदारी अधिकार प्रदान करता है तो ऐसे आदेश को निरस्त किया जा सकता है। इस प्रकार उपखण्ड अधिकारी परबतसर ने दिनांक 12.03.2018 को पारित निर्णय द्वारा खसरा नंबर 691 रकबा 1.10 हैक्टेयर किस्म बारानी 2 , 692 रकबा 1.26 हैक्टेयर भूमि किस्म गैर मुमकिन मगरा भूमि की राजकीय भूमि में जो खातेदारी अधिकार अप्रार्थीगण को प्रदान किये है वो उनके क्षेत्राधिकार से बाहर तथा अवैध हैं तथा उक्त निर्णय निरस्त किये जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स स्वीकार किया जाना है, रेफरेन्स माननीय निबन्धक महोदय राजस्व मंडल राजस्थान अजमेर की सेवा में प्रेषित कर निवेदन है कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी परबतसर के राजस्व वाद संख्या 15/2017 निर्णय दिनांक 12.03.2018 एवं डिक्री पर्चा दिनांक 12.03.2018 अवैध होने से निरस्त योग्य है जिसे निरस्त फरमाने के आदेश प्रदान करावें।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

(रिछपाल सिंह बुरडक)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned with CamScanner